(65) 67

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

म०प्र०

निगरानी प्रकरण

211 / 17-4-14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs. 20/-

टीप – माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 16.2.16 के अनुसार अना० क्र० 2 के वारिसान का नाम संशोधन किया जाता है
2 (अ) मीरा देवी पत्नी स्व. श्री रामदयाल शर्मा
2 (ब) सतेन्द्र तनय स्व. श्री रामदयाल शर्मा
2 (स) शिवेन्द्र तनय स्व. श्री रामदयाल शर्मा
2 (द) बीना देवी पुत्री श्री रामदयाल शर्मा
सभी निवासी ग्राम लोहदवार तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा (म०प्र०)

1- मुस० राज कुमारी वेवा पत्नी श्री अवध किशोर
2- दया शंकर |
3- उमाशंकर | दोनों के पिता स्व० श्री अवध किशोर
4- रामानुज |
5- रामलेलावन |
6- रामसुन्दर | सभी के पिता स्व० मोल राम ब्रा० सभी निवासीगण ग्राम
7- कैलाशप्रसाद | लोहदवार, तह० रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म०प्र०
8- कृष्ण कुमार |

R. 132 - III/14

श्री अरविंद पाण्डेय एड० द्वारा आज दिनांक 17.4.14 के प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

----- आवेदकगण / निगराकारगण

बनाम

1- रामसजीवन | पिता स्व० कामोद राम ब्रा०
मृतक (2- रामदयाल) |
3- सिद्धमुनि |
4- बैजनाथ |
5- मुस० तुलसीदेवी वेवा रामावतार
6- सुशीलकुमार |
7- अरविन्द कुमार | दोनों के पिता रामावतार
8- अरुण कुमार पिता जगदीशप्रसाद
9- सत्यवती पत्नी स्व० रामलाल
10- नारेन्द्र |
11- जीतेन्द्र | दोनों के पिता श्री श्यामलाल सभी निवासीगण ग्राम लोहदवार,
तह० रायपुर कर्चु०, जिला रीवा म०प्र०

---- आवेदकगण / गैर निगराकारगण

-2

(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R | 320 - III / 14 जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 23/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तह. रायपुर के प्रकरण क्रमांक 24/अ-27/11-12 में पारित आदेश दिनांक 16/4/14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य 6/2/19	